

प्रेषक,

सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव
छोटे लोहिया महाविद्यालय
काशीधाम, सुरजपुर
मऊ।

पत्रांक- शि०स०/बी०टी०सी०/अनु०- 540 /3825-28/2014-15 दिनांक: 30/12/2014
विषय:- निजी बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत स्व वित्तपोषित संकाय सदस्यों के चयन के अनुमोदन के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक रहित दिनांक 17.11.2014 के संदर्भ में निजी बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्रांक शि०स०/बी०टी०सी०/अनु०-540/3373-76/2012-13 दिनांक 30.08.2012 एवं पत्रांक शि०स०/बी०टी०सी०/अनु०-540/3207-10/2012-13 दिनांक 24.08.2014 द्वारा पूर्व में अनुमोदित प्राचार्य एवं प्रवक्ता के त्यागपत्र से रिक्त पद पर प्रबन्धक के शपथ पत्र के प्रति निम्नलिखित विवरणानुसार स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संकाय सदस्यों का अनुमोदन दो वर्ष के प्रवेशन पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता निरस्त होने की दशा में योग्यता सम्बन्धी सत्यापन असत्य पाये जाने पर तथा अन्य किसी तथ्य का गोपन किया गया होगा तो अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. श्री बलवीर
2. श्री चन्द्रमणि यादव (पिछड़ी जाति)

प्राचार्य/विभागाध्यक्ष
प्रवक्ता प्रविधि

समस्त अनुमोदित अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्रों का सम्बन्धित संस्था से सत्यापन करा कर, सत्यापन की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(श्रीमती) नीना श्रीवास्तव
सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, इलाहाबाद।

पु०सं० शि०स०/बी०टी०सी०/अनु०- 540 / 2014-15 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चतुर्थ तल, जीवन निधि-II, एल०आई०सी० बिल्डिंग, भवानी सिंह मार्ग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर-302005 (राजस्थान)।
3. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, मऊ।

(श्रीमती) नीना श्रीवास्तव
सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, इलाहाबाद

सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, इलाहाबाद।

सेवा में,
प्रबन्धक/सचिव
छोटे लोहिया महाविद्यालय
काशीघाम, सूरजपुर
मऊ।

पत्रांक- शि०स०/बी०टी०सी०/अनु०- 540 /3373-76/2012-13 दिनांक 24.08.12
विषय:- निजी बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत स्व वित्तपोषित संकाय सदस्यों के चयन के
अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 125/08/12 दिनांक 26.08.2012 के सदर में 24 अगस्त 2012
पत्रांक बी०टी०सी०/अनु०-540/3207-10/2012-13 दिनांक 24.08.2012 के अनुक्रम में निजी बी०टी०सी०
पाठ्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरणानुसार स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संकाय सदस्यों का अनुमोदन की
वर्ष के प्रवेशन पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया जाता है कि एन सी टी ई द्वारा मान्यता निरस्त होने का
दशा में योग्यता सम्बन्धी सत्यापन असत्य पाये जाने पर तथा अन्य किसी तथ्य का मापन किया गया हो
अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. श्री प्रेम भूषण पाण्डेय
2. श्री प्रवीण कुमार पाण्डेय

प्राचार्य/विभागाध्यक्ष
प्रवक्ता कला

समस्त अनुमोदित अभ्यर्थियों के शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र, शिक्षण अनुभव प्रमाण-पत्र एवं उनके
प्रमाण-पत्रों का उनके मूल अभिलेखों से सत्यापन कर प्रत्येक के सम्बन्ध में अपना शपथपत्र इस कार्यालय में
यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

20.08.12

(भावना शिक्षार्थी)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, इलाहाबाद।

पू०सं० शि०स०/बी०टी०सी०/अनु०- 540 / /2012-13 तददिनांक

प्रतिलिखित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, 20/198 काठवाड़ा, जयपुर।
3. प्राचार्य, जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान, मऊ।

(भावना शिक्षार्थी)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, इलाहाबाद।

प्रेषक,

सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ०प्र०, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव
छोटे लोहिया महाविद्यालय
काशीघाम, सूरजपुर
मऊ।

पत्रांक- शि०स०/बी०टी०सी०/अनु०-540/3207-10/2012-13 दिनांक: 24-8-12
विषय:- निजी बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत स्व वित्तपोषित संकाय सदस्यों के चयन के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक रहित व दिनांक 21.08.2012 के संदर्भ में निजी बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरणानुसार स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संकाय सदस्यों का अनुमोदन दो वर्ष के प्रोवेशन पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता निरस्त होने की दशा में योग्यता सम्बन्धी सत्यापन असत्य पाये जाने पर तथा अन्य किसी तथ्य का गोपन किया गया होगा तो अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 1. श्री राजेश तिवारी | प्रदक्ता आधारीक |
| 2. श्री निरंजन कुमार (पिछड़ी जाति) | प्रवक्ता प्रविधि |
| 3. श्री शिव बहादुर यादव (पिछड़ी जाति) | प्रवक्ता प्रविधि |
| 4. श्री रण विजय कुमार (अनुसूचित जाति) | प्रवक्ता प्रविधि |
| 5. बिरेश प्रसाद सिंह | प्रवक्ता स्वास्थ्य शिक्षा |

प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के पद पर चयनित अभ्यर्थी की एम०ए० की अंकतालिका संलग्न न होने तथा मेरिट सूची में एम०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत अंकित न होने के कारण तथा प्रवक्ता कला के पद पर चयनित अभ्यर्थी की योग्यता प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद यू०जी०सी० की लिस्ट में न होने के कारण अनुमोदन के सम्बन्ध में वैधानिक कठिनाई हो रही है।

समस्त अनुमोदित अभ्यर्थियों के शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र, शिक्षण अनुभव प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्रों का उनके मूल अभिलेखों से सत्यापन कर प्रत्येक के सम्बन्ध में अपना शपथपत्र इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

24.8.12

(भावना शिक्षार्थी)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उ०प्र०, इलाहाबाद

प०स० शि०स०/बी०टी०सी०/अनु०- / /2012-13 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, 20/198, कावेरी पथ मानसरोवर स्टेडियम के पास, मानसरोवर जयपुर।